न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 42 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 62

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.किशनाराम पुत्र मंगलाराम 2.तुलसाराम पुत्र मंगलाराम 3.मांगी पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.वरींगाराम पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजकीय प्राथमिक विधालय फुलजी विश्नोई की ढाणी, उमरलाई तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 3.जगमालराम पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 4.बगडूराम पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर ज़िला बालोतरा 5.बाबूराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.मांगीलाल पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 7.लादुराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 8.ओमप्रकाश पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई निवासी भाखरी तहसील ओसिया जिला जोधपुर 9.किशनाराम पुत्र लाधुराम जाति विश्नोई निवासी पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर ज़िला बालोतरा 10.गोलीदेवी पत्नी लाधुराम जाति विश्नोई निवासी पटाऊ खुर्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

11.बाबुराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई
निवासी भाखरी तहसील ओसिया

12.बीरबलराम पुत्र खेराजराम
जाति विश्नोई निवासी भाखरी
तहसील ओसियां जिला जोधपुर

13.सुखराम जाति विश्नोई
निवासी भाखरी तहसील ओसिया

14.सहीराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई
निवासी भाखरी तहसील ओसिया

15.बुधाराम पुत्र खानूराम जाति विश्नोई
निवासी पटाऊ खुर्द
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

16.बाबूराम पुत्र खानुराम जाति विश्नोई
निवासी भाखरी
तहसील ओसिया जिला जोधपुर

17.हड़मानराम पुत्र खानुराम
जाति विश्नोई निवासी पटाऊ खुर्द
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

18.मांगीदेवी पत्नी सहीराम

19.रूपादेवी पत्नी पवन कुमार

20.ओमप्रकाश पुत्र पेलाद

21.मेहराज पुत्र माना

22.मांगीलाल पुत्र पेलाद

23.रूकमण पत्नी पेलाद

24.वागाराम पुत्र पेलाद

25.विरदाराम पुत्र माना

26.श्रीराम पुत्र पेलाद

27.सोमी पत्नी माना जाति विश्नोई
निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

28.हरचन्द पुत्र खुमा के वारिसान

28/1.करनाराम पुत्र हरचन्द

28/2.बीरबलराम पुत्र हरचन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

28/3.किशनाराम पुत्र हरचन्द
जाति विश्नोई निवासी भाखरी
तहसील ओसिया जिला जोधपुर

28/4.मोहनीदेवी पुत्री हरचन्द पत्नी
मोहनलाल जाति विश्नोई
निवासी भोजासर
तहसील पटियाली जिला फलौदी

29.स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा
सरवडी तहसील कल्याणपुर

30.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

31. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री चम्पालाल अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 24.04.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई जागीर पटवार हल्का उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/296 क्षेत्रफल 17.5279 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम उमरलाई जागीर पटवार हल्का उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/296 क्षेत्रफल 17.5279 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलव किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 29 की ओर से जरिए अधिवक्ता वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 29 की ओर से जवाव पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया तथा विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई जागीर पटवार हल्का उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/296 क्षेत्रफल 17.5279 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होनें के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई जागीर पटवार हल्का उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/296 क्षेत्रफल 17.5279 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम ग्राम उमरलाई जागीर पटवार हल्का उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/296 क्षेत्रफल 17.5279 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति मौका फर्द दिनांक 04.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की. पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उमरलाई जागीर पटवार हल्का उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/296 क्षेत्रफल 17.5279 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 24/04/2025
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा